भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 408

मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निवल एफडीआई में गिरावट

408. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अन्तर्वाह में गिरावट की जानकारी है जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1.6 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 0.2 प्रतिशत हो गया है;

(ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बहिर्वाह की भूमिका, कराधान तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की संरचना में परिवर्तन सहित इस गिरावट की प्रवृत्ति के लिए चिह्नित किए गए कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सकल स्थिर पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास पर इस गिरावट के प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) विशेषकर उत्पादक क्षमता बढ़ाने और रोजगार सृजित करने वाले क्षेत्रों में उच्च निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या सरकार इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए निवेश के माहौल, कराधान नीतियों या क्षेत्रीय विनियमों में सुधार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आर्थिक विकास के लिए गैर-ऋण वित्तीय संसाधन का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। भारत के सकल एफडीआई अंतर्वाह में पिछले एक दशक से भी अधिक समय में निरंतर वृद्धि देखी गई है। एफडीआई, अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक स्थायी पूंजी का निवेश करता है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रणनीतिक क्षेत्रों के विकास, व्यापक नवप्रयोग, प्रतिस्पर्धा तथा रोजगार सृजन में योगदान करने के साथ-साथ अन्य लाभ भी प्रदान करता है।

समग्र एफडीआई अंतर्वाह वर्ष 2012-13 के 34 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 80 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 2025-26 (50.36 बिलियन अमरीकी डॉलर) की पहली छमाही के दौरान संसूचित कुल एफडीआई अंतर्वाह में पिछले वर्ष की अवधि (43.37 बिलियन अमरीकी डॉलर) की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष की पहली छमाही के लिए उच्चतम वृद्धि है।

निवल एफडीआई अंतर्वाह का वर्तमान रुझान, प्रत्यावर्तन/विनिवेश में बढ़ोत्तरी और ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) बहिर्वाह बढ़ोत्तरी से संबद्ध है। वर्ष 2022 में अधिसूचित किए गए उदार ओडीआई नियमों के कारण ओडीआई बहिर्वाह ने भारतीय कंपनियों को विदेशों में उनके बिजनेस फुटप्रिंट को बढ़ाने में सहायता कर रहा है, जो उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बना रहा है और यह लंबे समय के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है। प्रत्यावर्तन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति यह इंगित करती है कि भारत न केवल विदेशी पूंजी को आकर्षित कर रहा है, बल्कि बेहतर रिटर्न भी प्रदान कर रहा है, जिससे एक विश्वसनीय गंतव्य स्थल के रूप में इसकी प्रतिष्ठा में सुधार हो रहा है।

अधिक एफडीआई आकर्षित करने के लिए, सरकार ने एक निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू की है जिसमें रणनीतिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्र, जो स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए खुले हैं। 90 प्रतिशत से अधिक एफडीआई अंतर्वाह स्वतः अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत प्राप्त होता है। वर्ष 2014 से 2019 के बीच, महत्वपूर्ण सुधारों में रक्षा, बीमा और पेंशन क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाना और निर्माण, नागर विमानन तथा सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए उदारीकृत नीतियां शामिल हैं। वर्ष 2014 से 2019 तक, किए गए उल्लेखनीय उपायों में कोयला खनन, संविदा विनिर्माण और बीमा मध्यस्थों के क्षेत्र में स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति प्रदान करना शामिल है।

सरकार ने निर्यात में विविधता लाए जाने को बढ़ावा देने और निवश आकर्षित करने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाया है। भारत ने अपने व्यापार साझेदारों के साथ 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 06 वरीयतापूर्ण व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर 10 मार्च, 2024 को हस्ताक्षर किया गया, जो एक आधुनिक और भविष्योन्मुखी समझौता है। स्वीट्जरलैंड, नॉर्वे, लिकटेंस्टीन और आईसलैंड द्वारा 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश और अगले 15 वर्षों में एक मिलियन

प्रत्यक्ष रोजगार सुनिश्चित करने की एकपक्षीय बाध्यकारी प्रतिबद्धता जताई गई है जोकि मुक्त व्यापार समझौतों के इतिहास में पहली बार हुआ है।

सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रही है ताकि हमारे निर्यातकों को जापान, कोरिया, यूएई जैसे प्रमुख बाजारों के साथ भारत के द्वारा किए गए मुक्त व्यापार समझौतों से मिलने वाले लाभ का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके और हाल ही में ईएफटीए देशों और यूके के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों से उत्पन्न अवसरों का प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सके। सरकार ईयू, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ओमान इत्यादि के साथ पारस्परिक लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में शीघ्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बातचीत कर रही है। यूएस टैरिफ कार्रवाई के प्रभावों का आकलन करने के लिए सरकार निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

सरकार, विनियामक बाधाओं को हटाकर, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए, अवसंरचना विकास, लॉजिस्टिक्स में सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देते हुए व्यवसाय माहौल में सुधार करने का निरंतर प्रयास कर रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच एक निर्बाध व्यवसाय विनियामक रूपरेखा को और सुदृढ़ करने तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2024 रैंकिंग और विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स को आसान बनाना (लीड्स) 2024 रिपोर्ट जारी की गई है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ संभावित निवेशकों को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए सकारात्मक व्यवसाय ईकोसिस्टम के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स कार्य-निष्पादन के उदाहरणों से अवगत कराया जा सके। विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) पहल के परिणामस्वरूप, देशभर में 670 अधिनियमों के तहत 42,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया है। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से सरकार ने 19 मंत्रालयों/विभागों के 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को गैर- अपराधीकृत किया है।

सरकार मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, पीएलआई स्कीम, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक और परियोजना मॉनीटरिंग समूह (पीएमजी) जैसे नीतिगत कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए एक बेहतर माहौल भी प्रदान करती है। निवेश में तेजी लाने के लिए, सभी मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) स्थापित किए गए हैं। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 6 प्रमुख कॉरिडोर्स सहित 10 राज्यों में 28,602

करोड़ रुपए के निवेश के साथ पिछले वर्ष राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 नई परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है।

स्टार्टअप्स और विदेशी निवेशकों हेतु कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए, वर्ष 2024 में आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया है ताकि एंजेल कर को समाप्त किया जा सके और विदेशी कंपनी के आय पर लगने वाली आयकर दर को कम किया जा सके। सितंबर 2025 में शुरू किया गया जीएसटी सुधार, भारत की कराधान प्रणाली को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि युवाओं की आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। ये सुधार कर-संरचना को सुव्यस्थित करते हैं, दर को कम करते हैं और मौजूदा कमियों में सुधार करते हैं ताकि उद्यमशीलता, रोजगार सृजन और किफायती रूप से जीवनयापन को प्रोत्साहन मिले। शिक्षा, ऑटोमोबाइल, प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प, फुटवियर, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र सहित अधिक युवा भागीदारी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की गई है, ताकि नवप्रयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ किया जा सके।

इसके अलावा, चमड़ा, फुटवियर, कागज, वस्त्र, हस्तशिल्प, खिलौने, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम दर वाली सरल जीएसटी संरचना से मौजूदा व्यवसाय को सहायता मिलने, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलने और व्यापारियों के लिए अनुपालन सरल होने की संभावना है। कई वस्तुओं पर जीएसटी स्लैब को घटाकर 5 प्रतिशत कर और परिवहन एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों में दर को युक्तिसंगत करके, इन सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए लागत कम करना, व्यापारियों के लिए अनुपालन को सरल बनाना तथा भारतीय व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।

*****